भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3579

उत्तर देने की तारीख - 11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल आवश्यकता और प्रशिक्षण पहल

†3579. श्री शशांक मणि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कौशल विकास पहलों को रोजगार बाजार की बदलती गतिशीलता और तकनीकी प्रगति के साथ समायोजित करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण मानकों में सुधार और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि को शामिल करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतरालों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे अध्ययन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के 7 उपायों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, ज़िला कौशल समितियों (डीएससी) को ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए ज़िला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। डीएसडीपी रोज़गार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ ज़िले में कौशल की संबंधित माँग की पहचान करती हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती हैं। सरकार के कौशल विकास

कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से, क्षेत्र-विशिष्ट कौशल मांगों के विश्लेषण हेतु एक सशक्त पद्धति स्थापित करने हेतु सात उच्च-विकास क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय कौशल अंतराल अध्ययन किया है। सात क्षेत्रों में शामिल हैं - (i) अनाज, फलीदार फसलों और तिलहन की खेती; (ii) मवेशी और भैंसों का पालन; (iii) वस्त्र बुनाई; (iv) मोटर वाहनों, मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों का निर्माण; (v) सौर ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके बिजली उत्पादन; (vi) विशेष दुकानों में भोजन, कपड़े, जूते और चमड़े की वस्तुओं की खुदरा बिक्री और एमवी का रखरखाव और मरम्मत; और (vii) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गतिविधियाँ। अध्ययन ने उन नौकरी भूमिकाओं की पहचान की है जो सात क्षेत्रों में मांग की कमी का सामना कर रही हैं और जिनमें मांग की कमी होने की संभावना है।

(ख): एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल को उद्योग की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप बनाने के लिए, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त, अवार्डिंग बोडीज (पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाओं) से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8693 योग्यताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2266 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं, और 6427 योग्यताएं अप्रासंगिक होने के कारण संग्रहीत हैं।

(iv) संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योग के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) स्थापित की गई हैं जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों को निर्धारित करती है।

(iii) एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8693 योग्यताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2266 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं, और 6427 योग्यताएं अप्रासंगिक होने के कारण संग्रहीत हैं।

(iv) संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योग के नेतृत्व में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों को निर्धारित करती है।

(v) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(vi) पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल नौकरी-भूमिकाओं को विशेष रूप से एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ आगामी बाजार की मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

(vii) डीजीटी ने सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(viii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक तकनीकों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(ix) अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुसज्जित उद्योग के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक समूह बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(x) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल (सिद्ग) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो प्रमुख हितधारकों को जीवन भर सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता ईको सिस्टम्स को एकीकृत करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए एसआईडीएच (सिद्ध) पोर्टल पर उपलब्ध है। एसआईडीएच(सिद्ध) के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(xi) प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं।

(ग): कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने में सुधार हेतु, प्रशिक्षुओं से फीडबैक प्राप्त करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रयोगशाला

की पर्याप्तता, प्रशिक्षक से संतुष्टि, मूल्यांकनकर्ताओं की निष्पक्षता, स्थानीय भाषा में मूल्यांकन, दूसरों को प्रशिक्षण की अनुशंसा आदि मानदंडों पर फीडबैक प्राप्त किया जाता है। जहां तक कौशल आवश्यकताओं का संबंध है , क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण भी करती हैं। अवार्डिंग बोडीज (पुरस्कार देने वाली संस्थाओं) द्वारा विकसित नए पाठ्यक्रमों/योग्यताओं का उद्योग जगत द्वारा सत्यापन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उद्योग जगत के मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

****